

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशीनगर, स्थान- पडरौना।

आदेश

01-07-2022

आज यह पत्रावली अदालत में पेश हुई। अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर मुकदमा समाप्त करने की याचना की गई है।

आदेश हुआ को अभियुक्त को मु०- 1000 /- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की दशा में 2 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। तदनुसार मुकदमा का निस्तारण किया जाता है।